छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
<u>सिटीजन चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र)</u>

प्रजातांत्रिक कल्याणकारी शासन को अपने प्रदेश के समस्त नागरिकों कल्याण एवं बुनियाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से यह सिटीजन चार्टर जिसे "नागरिक अधिकार पत्र" भी कहा जाता है, लागू करे हेतु कृत संकल्प है। इस नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सामर्थ्यवान् बनाया जाना है।

हमारे लोक सेवा तंत्र में निष्ठा, कार्यकौशल और प्रतिबद्धता की कमी नहीं है, अतः इन मानवीय गुणों का सेवाओं में स्पष्ट समावेश होने से आम नागरिकों में सेवाओं तथा उनकी कार्यप्रणाली में जहां एक ओर विश्वास सुदृढ़ बनेगा, वहीं दूसरी ओर लोक सेवकों में भी और अधिक जवाबदेही, संवेदनशीलता, तत्परता व कार्यकुशलता का आत्मबोध होगा।

राज्य सरकार का यह विभाग, उपर्युक्त भावनाओं से यह कृत संकल्पित है कि वह अपने नागरिकों को जनभागीदारी सहित उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था दे।

आज यह विभाग आम नागरिकों के लिए अधोलिखित सेवाएं उपलब्ध करा रहा है:-

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, भारत सरकार से प्राप्त आबंटन के आधार पर शक्कर, मिट्टी के तेल आदि को वितरण केन्द्रों तक पहुंचाकर, उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखना।

(2) उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्नों का गुणवत्ता के साथ उचित मूल्य पर प्रदाय।

(3) किसानों से सीधे समर्थन मूल्य पर धान, मक्का, गेहूं आदि की खरीदी तथा उन्हें तत्काल भुगतान की व्यवस्था ।

(4) पेट्रोल/डीजल/मिट्टी का तेल/रसोई गैस की गुणवत्ता एवं व्यापार पर नियंत्रण।

(5) उपभोक्ता के हितों का संरक्षण।

(6) व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव संरक्षा में उपयोग में आने वाले बांट एवं माप उपकरणों की विशुद्धता (Accuracy) बनाये रखना।

(7) नापतौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदान करना एवं उन पर नियंत्रण रखना।

1. <u>पारदर्शिता</u>

विभाग की कार्यप्रणाली में खुलापन रखते हुए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया, उचित मूल्य की दुकान की आवंटन प्रक्रिया, उक्त दुकानों में शासन नीति के तहत् आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य स्कंध के खुले प्रदर्शन की अनिवार्यता, खाद्यान्न आदि आवश्यक वस्तुओं के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं उपरोक्त के निराकरण हेतु समय-सीमा का निर्धारण।

2. **गुणवत्ता**

खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

3. **जवाबदेही**

भारत सरकार से आवंटित खाद्यान्नों को उचित मूल्य की दुकानों से वितरण कराने, राशनकार्ड बनाने व वितरण कराने, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज के उपार्जन की समुचित व्यवस्था करने संबंधी समय-सीमा का निर्धारण करते हुए, जवाबदेही का विनिश्चियन।

4. **सूचना का अधिकार**

उचित मूल्य दुकान विषयक जानकारियां प्रदान करने हेतु संबंधित के दायित्व का निर्धारण ।

5. **जनभागीदारी**

उचित मूल्य दुकानों के कार्य पर सतत् निगरानी हेतु शासकीय अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को समावेशित करते हुए विभिन्न स्तरीय समितियों का गठन ।

6. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

इस प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसीन के वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है।

7. **उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाएं**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने एवं वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया गया है कि उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के नाम, मूल्य, राशन कार्ड पात्रता, स्टाक तथा दुकान खुलने का समय आदि की पूर्ण सूचना का प्रदर्शन किया जावे ।

8. **नापतौल संगठन**

नापतौल संगठन का कार्यक्षेत्र, सुदूर तथा ग्रामीण अंचल में स्थित छोटे से दुकानदार से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारोबार तक फैला हुआ है।

नापतौल से संबंधित कार्यों को सूचिबद्ध किया गया है, जो आम उपभोक्ता से जुड़े हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि किस कार्य को करने के लिये कौन अधिकारी सक्षम है तथा वह जितनी समयावधि में उसका निराकरण करेगा।

सूचना का अधिकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पादर्शिता लाने के ध्येय से नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों में संधारित की जाने वाली यूनिट पंजी (राशन कार्ड रजिस्टर), स्कंध पंजी (स्टाक रजिस्टर) एवं एवं वितरण पंजी (विक्रय रजिस्टर) की प्रति दो रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेगा।